न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—211 सन् 2022

भुपेन्द्र प्रसाद सिंह वगैरह.....................वादीगण।

बनाम

राजकुमार गुप्ता वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 12.07.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 15.11.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर हकियत की घोषणा वो दखल कब्जा कन्फर्म करने वो बेदखली पाने के अनुतोषों के साथ दाखिल किया है। इसी बीच प्रतिवादीगण नाजायज हस्तांतरण का कागज लिख देना चाहते है। उसी कम में प्रतिवादिनी सं0 03 ने दिनांक 25.04.2022 को दो किता निबंधित बैनामा एक सीमा देवी एवं दूसरा राजेश कुमार के नाम नाजायज लिखी है। उपरोक्त दोनों बैनामा ब दौरान मुकदमा हाजा के लिखा गया है। इसलिए मुकदमा में न्याय के लिए उपरोक्त दोनों व्यक्ति सीमा देवी वो राजेश कुमार को इस वाद में फरीक बनाना आवश्यक हो चुका है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त सीमा देवी वो राजेश कुमार जिनका पूर्ण पता आवेदन में दिया गया है उन्हें प्रतिवादी सं0 08 वो 09 बना दिया जाए।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सीमा देवी वो राजेश कुमार को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण को मुकदमा की जानकारी होने के बाद विवादित जमीन को प्रतिवादी सं0 03 ने दिनांक 25.04.2022 को निबंधित बैनामा एक सीमा देवी वो दूसरा राजेश कुमार के नाम से तहरीर किया है। वादी उक्त दोनों व्यक्तियों को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना चाहते हैं। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की

ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.11.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

सब जज

सोनपुर सारण।

दिनांक—12.07.2023

आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19.04.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 उर्मिला देवी जौजे— राजकुमार गुप्ता थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 19.02. 2023 को अपने कानूनी वारिसान एक पुत्र श्रवण कुमार गुप्ता वो दो पुत्री सुनिता कुमार वो सरोज कुमारी को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 03 उर्मिला देवी का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 के रूप में उर्मिला देवी थी जिनकी मृत्यु दिनांक 19.02.2023 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 02 उर्मिला देवी का नाम अर्जीदावी से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन समय सीमा के अंतर्गत तथा शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.04.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक......................को प्रकाशन की कार्रवाई हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।